

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील नं. 1817/14 जिला अजमेर

उपनाम श्री कुमार व श्री सु. स्. श्री साईदरहा वना / 2000 सरकार SR अजमेर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.12.14	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री मदनलाल, सदस्य श्री मनोहरपुरी, सदस्य</p> <p>प्रार्थी की ओर से श्री हबीब आलम एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>श्री हबीब आलम ने उक्त निगरानी वर्तमान में राजस्थान सरकार वित्त (कर) विभाग द्वारा दिनांक 16.12.2014 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (1999) का अधिनियम संख्या 14 की धारा 9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये सूचना संख्या 2 (6) वित्त/कर/2014-143 के अनुसार वर्तमान में शत प्रतिशत शास्ति एवं ब्याज में छूट प्रदान की जा रही है। इस बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2014 प्रस्तुत कर विद्वा किये जाने का निवेदन किया। विभागीय प्रतिनिधि श्री आर.के.अजमेरा ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।</p> <p>अतः प्राथी द्वारा प्रस्तुत निगरानी जरिये विद्वाअल खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="360 1404 674 1601"> <p><i>मदनलाल</i> 26.12.2014 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।</p> </div> <div data-bbox="909 1404 1223 1601"> <p><i>मनोहरपुरी</i> 26.12.2014 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।</p> </div> </div>	